

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक— वि०प्रा०(1)स्था०-02/2018—

2340

पटना, दिनांक—

5-7-2019

अधिसूचना

(शुद्धि पत्र)

विभागीय अधिसूचना सं०-2245, दिनांक-29.06.19 के क्रमांक-5 पर उल्लिखित श्री राकेश रंजन व्याख्याता भौतिकी के स्थान पर श्री राकेश रंजन व्याख्याता विद्युत पढ़ा जाय।

2. अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि०प्रा०(1)स्था०-02/2018—

2340

पटना, दिनांक—

5-7-2019

प्रतिलिपि — महालेखाकार, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई.टी., विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्वद, पटना/परियोजना निदेशक, बी.सी.एस.टी., पटना/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, संस्थान/सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव एवं सभी संबंधित पदाधिकारी/व्याख्याता एवं प्रभारी प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि०प्रा०(1)स्था०-02/2018—

2340

पटना, दिनांक—

5-7-2019

प्रतिलिपि — माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव